न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/30/2021	2023/307	08-10-2021	21-06-2023

01- बिमला देवी पत्नी बनवारी लाल जाति अहीर निवासी,
02- मिश्री देवी पत्नी बल्लाराम जाति अहीर निवासीयान ग्राम खोहरी तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

-अपीलाण्टान

बनाम

01- तहसीलदार बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

- रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार बानसूर दिनांक 15.01.2013 नामान्तकरण संख्या 1 वाके ग्राम खोहरी तहसील बानसूर जिला अलवर।

उपस्थित:-
01-श्री अनिल गुप्ता -वकील अपीलान्ट
02-श्री दीपक मीना -राजकीय अभिभाषक

-:निणय:-

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के निर्णय दिनांक 15.01.2013 नामान्तकरण संख्या 1 वाके ग्राम खोहरी तहसील बानसूर जिसके द्वारा मृतक खातेदार रूधनाथ की भूमि पर दर्ज खातेदारी मूला, नन्दा पिसरान भरता के हिस्से में से धापा, बुद्दी, कमला पुत्रीयान भरता हिस्सा 3/10 बाकि बदस्तुर खातेदार स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलाधीन आराजी खसरा न0 598/1014 रकबा 27 बीधा 16 बीधा का हिस्सा 133/1112, 610 रकबा 17 बीधा 7 बिस्वा का 1/8, 315 रकबा 3 बीधा 14 बिस्वा का 1/4 अर्थात कुल रकबा 128.37 बिस्वा वाके ग्राम खोहरी तहसील बानसूर जिला अलवर को मिन अपीलान्ट संख्या 1 बिमला देवी द्वारा खातेदार नन्दा पुत्र भरता से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनाक 22.08.2007 को खरीद किया गया था, एंव आराजी खसरा न0 268 रकबा 1 बीधा 7 बिस्वा, 269 रकबा 1 बीधा 11 बिस्वा, 274 रकबा 18 बिस्वा, 276 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा, 279 रकबा । बिधा 11 बिस्वा, 280 रकबा 7 बिस्वा, 281 रकबा 17 बिस्वा, 283 रकबा 14 बिस्वा कुल किता 8 रकबा 8 बिधा 7 बिस्वा का 3/4 हिस्सा वाके ग्राम खोहरी तहसील बानसूर के खातेदार नन्दा पुत्र भरता, बनवारी लाल पुत्र परता से उनका हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनाक 22.08.2007 को मिन अपीलान्ट संख्या दो मिश्रो देवी द्वारा खरीद किया गया था। और बाद खरीद वर्णित आराजीयात पर मिन अपीलाण्टान काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है। जिस पर बयनामा से नाराज होकर भरथा की पुत्रीयो धापा, बुद्दी, कमला के द्वारा अपने दादा रूगनाथ की विरासत

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

नामान्तकरण संख्या 1 के विरूद्व अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के समक्ष पेश की गयी। अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज की गयी। जिसके विरूद्व अपीलाण्टान धापा, बुद्वी व कमला के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील पेश की गयी जो दिनाक 19.05.2010 को स्वीकार की जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के आदेश दिनाक 30.06.2009 एंव प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 1 दिनाक 19.11. 1967 को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार बानसूर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया की रूगनाथ की विरासत का नामान्तकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार भरथा की पुत्री अपीलाण्टान संख्या 1 लगायत 3 अर्थात धापा, बुद्वी व कमला एंव भरथा के पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 अर्थात मूला व नन्दा के नाम समान भाग का तस्दीक करे। उक्त पारित निर्णय के विरूद्व अपीलाण्टान मिश्रो देवी व विमला देवी द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर के समक्ष अपील पेश की गयी, जो अपील दिनाक 04.01.2013 को खारिज की गयी। जिस आदेश के विरूद्व मिन अपीलाण्टान के द्वारा एक रिन्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जो दिनाक 17.07.2013 को खारिज कर दिये जाने पर धापा, बुद्वी व कमला के द्वारा प्रार्थना पत्र तहसीलदार बानसूर के समक्ष पेश कर निवेदन किया गया कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के आदेश दिनाक 19.05.2010 की पालना की जाकर उनका नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे। प्रार्थना पत्र अपीलाण्टान के बयनामा से संबंधित आराजी तक ही न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के आदेश की पालना की जाकर राजस्व रिकार्ड में भरथा के वारिसान के बहिस्से बराबर में 1/10 अंकित कर दिया गया लेकिन अपीलाधीन शेष आराजी के संबंध में उक्त आदेश की पालना न कर यथावत छोड दिया गया जो कि गलत है, जबकि अपीलाधीन वर्णित समस्त आराजी में भरथा के वारिसान के 1/10, 1/10 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना चाहिये था, लेकिन तहसीलदार बानसूर के द्वारा पक्षकारो से मिलीभगत करके मिन अपीलाण्टान को बिना सुने व सुनवाई का अवसर प्रदान किये नुकसान पहुचाने की नियत से उक्त इन्तकालधीन में वर्णित आराजी में से केवल मिन अपीलाण्टान की खरीदशुदा आराजी का नामान्तकरण ही बहिस्से बराबर 1/10, 1/10 स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया गया जबकि अपीलाण्टान के द्वारा आराजी के खातेदार को प्रतिफल राशि अदा करके बयनामा अपने पक्ष में तहरीर व पंजीबृद्व कराया गया था, एवं मिन अपीलाण्टान वर्णित आराजी की बोनाफाईड परचेजर है। एंव उनको उपरोक्त आराजी में समस्त मालिकाना हक व अधिकारात प्राप्त है। मिन अपीलाण्टान द्वारा उपरोक्त आराजी को अपनी जमापूजी से प्रतिफल राशि अदा करके बयनामा तहरीर व तकमील करया गया था, एंव मिन अपीलाण्टान को वक्त खरीद से ही तमाम मालिकाना हक व अधिकारात प्राप्त हो चुके है, एंव मिन अपीलाण्टान आज भी मौके पर वर्णित आराजी पर बहैसियत मालिक काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। एंव मौके पर कब्जा है। लेकिन तहत अदालत द्वारा केवल मिन अपीलाण्टान को नुकसान पहुचाने की नियत से मिन अपीलान्टान को बिना सुनवाई एंव मौका दिये ही अपीलाण्टान की खरीदशुदा आराजी का नामान्तकरण भरथा के वारिसान के नाम स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जबकि तहसीलदार बानसूर को कानूनन न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर के आदेश के अनुसार नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात में भरता का हिस्सा का नामान्तकरण 1/10, 1/10 में उसके समस्त वारिसान के नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल करना चाहिये था। मिन अपीलाण्टान को तहत अदालत के द्वारा पारित आदेश की कोई जानकारी नही थी, तथा रेस्पोडेण्टान द्वारा मिन अपीलाण्टान को दिनाक 15.11.2016 को उनकी खरीदशुदा आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा की एंव जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जिस पर मिन अपीलाण्टान द्वारा रेस्पोडेण्टान को ऐसा करने से मना किया तो रेस्पोडेण्टान द्वारा मिन अपीलाण्टान को बताया गया कि तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनाक 15.01.2013

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

को उपरोक्त वर्णित आराजी का नामान्तकरण स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुका है, और तुमको आराजी से बेंदखल करके रहेगें बमुश्किल रेस्पोडेण्टान को ऐसा करने से रोका गया जिस पर मिन अपीलाण्टान द्वारा तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनाक 15.01.2013 की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया जो नकल दिनाक 25.11.2016 को प्राप्त हुई जिस पर मिन अपीलाण्टान द्वारा कानूनी सलाह मशवरा कर आवश्यक ईन्तजाम कर बिना देरी किये अपील की है, तथा अपील किये जाने में हुई देरी का समय कन्डोन किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पृथक से पेश किया जाकर अपील अपीलाण्टान अन्दर अवधि मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलाण्टान स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित आदेश नामान्तकरण संख्या 01 वाके ग्राम खोहरी तहसील बानसूर निर्णय दिनाक 15.01.2013 निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते जाहिर किया है, कि न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनाक 19.05.2010 की पालना में तहत अदालत तहसीलदार बानसूर के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1 वाके ग्राम खोहरी मृतक खातेदार रूधनाथ की भूमि पर दर्ज खातेदारी मूला, नन्दा पिसरान भरता के हिस्से में से धापा, बुद्वी, कमला पुत्री भरता हिस्सा 3/10 बाकि बदस्तूर खातेदार दर्ज कर स्वीकार किया गया है। तहत अदालत तहसीलदार बानसूर के द्वारा नामान्तकरण संख्या 1 वाके ग्राम खोहरी निर्णय दिनाक 15.01.2013 तहसील बानसूर विधिवत जॉच कर निर्णय पारित किया गया है। अपील में पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्टान व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 1 निर्णय दिनांक 15.01.2013 वाके ग्राम खोहरी तहसील बानसूर जिला अलवर के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 24.01.2017 को पेश की गयी है, जो 04 वर्ष पश्चात पेश की गयी है, तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.01.2013 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 25.11.2013 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, कि विवादित नामान्तकरण संख्या 1 निर्णय दिनाक 15.01.2013 ग्राम खोहरी तहसील बानसूर न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के आदेश दिनाक 19.05.2010 की पालना में *उनका नाम राजस्व* रिकार्ड में अपीलाण्टान के बयनामा से संबंधित आराजी तक ही न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के आदेश की पालना की जाकर राजस्व रिकार्ड में भरथा के वारिसान के बहिस्से बराबर में 1/10 अंकित कर दिया गया लेकिन अपीलाधीन शेष आराजी के संबंध में उक्त आदेश की पालना न कर यथावत छोड दिया गया जो कि गलत है। वकील अपीलान्ट की बहस व राजकीय अभिभाषक की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया अपील में सर्वप्रथम खातेदार रूधनाथ के फौत हो जाने पर विरासत का नामान्तकरण संख्या 1 निर्णय दिनाक 19.11.1967 को ग्राम पंचायत खोहरी द्वारा परता पुत्र रूधनाथ हिस्सा 1/2 एंव मूला, नन्दा पुत्र भरथा हिस्सा 1/2 का तस्दीक किया गया था जिससे विरूद्व प्रथम अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर को की गयी जिसमें दिनाक 30.06.2009 के द्वारा अपील मियाद के बिन्दू पर खारिज की गयी, जिसके विरूद्व अपील न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर को की गयी। जिसमें न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

COURT OF THE ADDITIONAL ... अतिरिक्त जिला ...

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

ने निर्णय दिनाक 19.05.2010 के द्वारा प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 1 निर्णय दिनाक 19.11.1967 भी मूल चन्द एंव नन्दा की हद तक निरस्त किया जाकर तहसीलदार बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, कि खातेदार रूधनाथ की विरासत का नामान्तकरण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार भरथा की तीन पुत्रियो एंव भरथा के पुत्र मूल चन्द, नन्दा के नाम समान भाग का तस्दीक करे। तहत अदालत द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के आदेश दिनांक 19.05.2010 की पालना में दिनांक 15.01.2023 को इंतकाल दर्ज व तस्दीक करते समय भरथा की तीन पुत्रियो का स्पष्ट हिस्सा 3/10 अंकित किया गया है, किन्तु मूलचन्द व नन्दा का स्पष्ट हिस्सा अंकित ना किया जाकर बाकी बदस्तूर खातेदार अंकित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। जबकि तहत अदालत को अपीलांटान के भाईयों मूलचन्द व नन्दा का भी स्पष्ट हिस्सा अंकित करना चाहिए था। अपील अपीलाण्टान स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपील अपीलांटान तहत अदालत इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के निर्णय दिनांक 19.05.2010 के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर की कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उत्तम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I)
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)
ALWAR (RAJ.)